राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .1170/2017..जिला...........जयपुर...

मै. विपुल मोटर्स प्रा.लि., अजमेर रोड, जयपुर बनाम 1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज., वृत्त–III, जयपुर।
2. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2017	**खण्डपीठ कैम्प जयपुर** **श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री रमेश गुप्ता एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा, सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–III, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 25, 26, 55, एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 के द्वारा सृजित मांग 29,51,830/– को स्थगित करने हेतु प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रूपये 16,67,700/– को स्थगित कर शेष राशि रूपये 12,84,130/– में से राशि रूपये 12,00,730/– को स्थगित करने का निवेदन किया गया है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किये है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया करारोपण अविधिक व अन्यायिक है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 12,00,730/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने पर्याप्त राशि का स्थगन प्रदान किया जा चुका है, इसलिए उनका आदेश उचित होने से सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। व्यवहारी फर्म द्वारा कार की बिक्री का कार्य किया जाता है, एवं जिन ग्राहकों से पुरानी कार की खरीद की जाती है, ऐसे ग्राहकों को नई कार के विक्रय पर एक्सचेंज बोनस/लॉयल्टी बोनस डिस्काउण्ट दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा यह डिस्काउण्ट की राशि निर्माता/विक्रेता कम्पनी से इन्सेंटिव के रूप में प्राप्त कर ली जाती है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कृत्य को करापवंचन मानते हुए कर, ब्याज व शास्ति कुल राशि रूपये 29,51,830/– का आरोपण किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त करारोपण आदेश के विरूद्ध अपील मय	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .1170/2017...जिला...........जयपुर...

उनवान –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2017	– 2 – स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों पर विचार करने के पंश्चात् आरोपित शास्ति राशि रूपये 16,67,700/– को स्थगित करते हुए कर एवं ब्याज पर स्थगन देने से इन्कार किया है, जो प्रकरण के तथ्यों के अनुरूप होने से उचित है। अपीलार्थी फर्म के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हस्तगत प्रकरण के तथ्य भिन्न है। इस प्रकरण में व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार बिक्री मूल्य में कम की गई राशि (एक्सचेंज बोनस/लॉयल्टी बोनस डिस्काउण्ट) व्यापार में प्रचलित सामान्य डिस्काउण्ट राशि नहीं है। इसके अलावा **माननीय केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2006–147 एस.टी.सी.–626** के अनुसार भी बिक्री के बाद क्रेडिट नोट के माध्यम से प्राप्त राशि बिक्री मूल्य का ही भाग है, क्योंकि व्यवसायी द्वारा जो गाडिया एक्सचेंज बोनस/लॉयल्टी बोनस डिस्काउण्ट के तहत् बिक्री की है उनका डिस्काउण्ट के रूप में कम की गई बिक्री मूल्य की राशि क्रेडिट नोट के जरिये प्राप्त की है। इस प्रकार बिक्रीत वाहनों का पूरा मूल्य (Consideration of sale) व्यवसायी को प्राप्त हो गया है, इसलिए उक्त क्रेडिट नोट की राशि पर किया गया करारोपण उचित एवं विधिक है। **माननीय केरल उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायिक निर्णय WP(C). No. 40152 of 2016 judgment dated 07.02.2017** में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है। **माननीय कर बोर्ड के न्यायिक निर्णय 2012–34 टीयूडी 127** में भी ex-post facto discount को विक्रय मूल्य का भाग माना है। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (मदनलाल मालवीय) सदस्य (वी.श्रीनिवास) अध्यक्ष	